

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/व.आ./2022-23/ 4374

दिनांक: 13/06/2022

बजट आवंटन आदेश-24

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-18 : Productivity Enhancement Operation/ Activity (to conserve/ promote Natural Regeneration) : 1.Cultural operation of Bamboo 2. Cultural operation of Tendu में वर्णित संलग्न सूची अनुसार आवंटित कार्या को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 2406-04-796-04-01-12
2406- Forest & wildlife
04-Afforestation and Ecology Development
796- Janjati Kshetra Upyojan
(04)- Net Present Value of Forest Land
(01)- Compensatory Afforestation
12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रु. लाखों में)

APO Item No. 18 : Productivity Enhancement Operation/Activity (to conserve/ promote Natural Regeneration) : 1.Cultural operation of Bamboo 2. Cultural operation of Tendu

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	APO Item	Activity	Budget Allotment		
				Phy. Target (in ha.)	Unit Rate	Total Amount
1	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर	1.Cultural operation of Bamboo	i) New Advance Action	200.000	0.35213	70.42600
2	उ.व.सं. चित्तौडगढ़			50.000		17.60650
3	उ.व.सं. प्रतापगढ़			200.000		70.42600
4	उ.व.सं. उदयपुर			100.000		35.21300
5	उ.व.सं. विभागीय कार्य मण्डल उदयपुर			200.000		70.42600
योग				750.000		264.09750
6	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर	1.Cultural operation of Bamboo	ii) Committed (1st year)	400.000	0.01962	7.84800
7	उ.व.सं. प्रतापगढ़			500.000		9.81000
8	उ.व.सं. उदयपुर			200.000		3.92400
9	उ.व.सं. विभागीय कार्य मण्डल उदयपुर			500.000		9.81000
योग				1600.000		31.39200
10	उ.व.सं. पाली	2. Cultural operation of Tendu	i) New Advance Action	100.000	0.06390	6.39000
11	उ.व.सं. बारां			300.000		19.17000
12	उ.व.सं. झालावाड़			50.000		3.19500
13	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर			350.000		22.36500
14	उ.व.सं. चित्तौडगढ़			450.000		28.75500
15	उ.व.सं. डूंगरपुर			350.000		22.36500
16	उ.व.सं. प्रतापगढ़			500.000		31.95000
17	उ.व.सं. उदयपुर			300.000		19.17000
योग				2400.000		153.36000
महा योग						448.84950

1 Prior to implementation of above activities, the Dcfs shall submit a certificate to State CAMPA to the effect that the proposed activities are being taken up after due consultation with Gram Sabha and are as per provisions of FRA 2006. Activities proposed in forest areas are in consonance with approved working plan; and activities proposed in protected areas (PAs) are in consonance with approved Wildlife Management Plan.

- 2 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 3 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अर्न्तगत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 4 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 5 ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 6 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 7 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 8 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 9 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rule एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉम्पैरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 10 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 11 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहरताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 12 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 13 कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सके।
- 14 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रवृत्ति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 15 कैम्पा मद के अर्न्तगत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(शिखा मेहरा)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

राजस्थान, जयपुर।

दिनांक 13/06/2022

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/व.आ./2022-23/ 4375-92

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक -जोधपुर/कोटा/उदयपुर/विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक- पाली/वारां/झालावाड़/उदयपुर उत्तर/चित्तौड़गढ़/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/उदयपुर/ विभागीय कार्य मण्डल उदयपुर।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 रक्षित पत्रावली।

(आकांक्षा जोशी)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।